जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधि. सं0 14/2016 अनवानी श्री मनफूल सिंह जाखड़, इंदिरा चोक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर बनाम लोक उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

31–03–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनफूलसिंह जाखड़ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनफूलसिंह जाखड़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी घड़साना से निम्न सूचना चाही थीः–

(1) गोपालदास सिन्धी ग्राम 8 पी.एस.डी.ए. घड़साना
(2) बालकृष्ण ग्राम 8 पी.एस.डी.ए. घड़साना
(3) हरिकिशन ग्राम 8 पी.एस.डी.ए. घड़साना

इन तीनो डिपो होल्डरो के दिनांक 1 जनवरी 2015 से 28 फरवरी 2015 तक के समय के केरोसीन तेल वितरण रजिस्टरो की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री मनफूलसिंह जाखड़ ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2015 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने 30 दिन अवधि व्यतीत हो जाने के बाबजूद भी उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई उसे जबाब दिया गया है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई समस्त सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पत्र संख्या 1439 दिनांक 29.01.2016 के द्वारा निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैः–

श्री मनफूलसिंह जाखड द्वारा ग्राम पंचायत 8 पीएसडी–ए के उचित मूल्य दुकानदार गोपालदास सिंधी, बालकृष्ण एवं हरिकिसन की 1 जनवरी 2015 से फरवरी 2015 तक के समय के केरोसीन वितरण रजिस्टरो की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति चाही गई थी इस संबंध में निवेदन है कि आवेदन कर्ता को इस कार्यालय के पत्रांक 1336 दिनांक 08.01.2016 द्वारा निम्नानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था–

(सभी योजनाओ के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत) उपभोक्त मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लागु है, के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसारः–

किसी भी उचित मूल्य दुकान के स्वामी से अभिलेखो का सारांश अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई भी राशनकार्ड धारक राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा कराने के साथ स्वामी को लिखित आवेदन करेगा। उचित मूल्य दुकान का स्वामी राशन कार्ड धारक को अभिलेखो के ऐसे सारांश आवेदन और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस प्राप्त करने की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रदान करेगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

14/16 A3

आवेदनकर्ता द्वारा माह जनवरी 15 से फरवरी 15 तक स्टॉक रजिस्टरो की सूचना (सभी योजनाओ के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत) उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लागू है, के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसार नही दी जा सकती है। केवल सारांश की नकल ही दी जा सकती है। आवेदनकर्ता द्वारा अभी तक इस कार्यालय में फीस की राशि 12रूपये जमा नही करवाई गई है। राशि जमा न करवाने के कारण माह जनवरी 15 से फरवरी 15 तक के सारांश की प्रति आवेदनकर्ता को उपलब्ध नही करवाई गई है।

उपजिला कलक्टर (रसद) घडसाना ने समय अवधि में अपने पत्र सं0 1336 दिनांक 08.01.2016 से अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2015 के सन्दर्भ में (सभी योजनाओ के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत) उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 के अनुसार नियमानुसार मासिक सारांश उपलब्ध करवाने के लिए 2 रूपये की दर से 12 रूपये जमा करवाने के लिए लिखा गया था जो अपीलार्थी द्वारा जमा नही करवाये गये है जिस कारण उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर (रसद) घड़साना को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी 12रूपये राशि जमा करवा दे तो उसे नियमानुसार मासिक सारांश उपलब्ध करवा दिया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी घड़साना कों पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

770-71
17-4-16

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर